ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केस सं0– 03/2019–20

बीबी दुलारी वगै0 बनाम् मु0 महताब उर्फ मास्टर

8.10.2022

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद आवेदिका (1) बीबी दुलारी, पति–मु0 मुबारक, (2) बीबी लाजिरण, पति–फैकरूद्दीन, (3) बीबी फजरी, पति–मो0 आलमगीर, सभी सा0–सरोतिया, अंचल–महागामा, जिला–गोड्डा के द्वारा दाखिल आवेदन, जो मौजा सरोतिया नं0–426, जमाबंदी नं0–39, दाग नं0–01 के अन्दर कुल रकवा 00–03–10 धूर जमीन से विपक्षी (1) मु0 महताब उर्फ मास्टर, पे0–स्व0 अनवर, (2) मो0 अयुब, पे0–कोशर, सभी सा0–अमडीहा, थाना–बलबड्डा, अंचल–मेहरमा, जिला–गोड्डा को उच्छेद करने का अनुरोध को लेकर प्रारंभ किया गया। तद्नुसार अंचल अधिकारी, महागामा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं उभय पक्षों को कारण–पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, महागामा ने अपने पत्रांक–1165/रा0 दिनांक–08.08.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया एवं उभय पक्षों द्वारा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से कारण–पृच्छा दाखिल किया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुनने, अंचल अधिकारी, महागामा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकनोंपरान्त प्रासंगिक भूमि के जमाबंदी रैयत से विपक्षी का कोई संबंध नहीं रहने के कारण अवैध भूमि हस्तानान्तरण प्रतीत होता है। अतः विपक्षी को प्रासंगिक भूमि से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत उच्छेद किया जाता है।

अतः अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

Seen S.O.

लेखापित एवं संशोधित।

28.10.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

28.10.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.02.03 15:16:13 +05:30
Location: 192.168.8.107

Scanned with OKEN Scanner